

सेवा में,
श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
छबड़ा (राज.)
विषय :- अधिसूचना अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया गया है।

अधिसूचना के अनुसरण में प्रार्थी नरवदी वार पिता श. जामताई के नाम पटवार मण्डल हानाई के राजस्व ग्राम हानाई में नोमिनल गेटेशन जमाबन्दी के खाला संख्या 96 पर स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा (A.P. 13) इ. व. 5 नाम रहने दर्ज रेकॉर्ड हैं, जिसे अधिसूचना अनुसार भारतीय स्टेट बैंक शाखा (A.P. 13) इ. व. 5 दर्ज करवाने की कृपा करायी।

दिनांक 4/10/2025

हस्ताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट पटवार हल्का हानाई तहसील छबड़ा (राज.)

महोदय,

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिये जाने से प्रसूत्रावित संशोधन किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक

68 4/10/25

पटवारी

पटवार हल्का हानाई

कार्यालय तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक

मूल ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् शिबिर प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारों एवं भू-अभिलेखों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर के बजाय भारतीय स्टेट बैंक किया जाना उचित है।

तहसीलदार छबड़ा (मू.अ.)
जिला बारां (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (राज.)

4.10.25

क्रमांक: राजस्व/2025/324/25

दिनांक 4/10/2025

हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार छबड़ा के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी हल्का हानाई राजस्व रिकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा
जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)